

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 173 / प्र०अ०(त०स०-२) / जौन-१ / २०१४-१५ दिनांक ०५/१२/२०१४

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी रथानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अमित कुमार गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता, श्री मोहित गुप्ता पुत्रगण स्व० रमेश चन्द्र गुप्ता द्वारा पार्ट आफ साईट न०-२९ सिविल स्टेशन इलाहाबाद जौन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के कम में निर्माणित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधिकों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिगोग किया जायेगा, नवन निर्माण एवं विकास उपयोगी 2008 में उपयोग संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्ति (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने ताले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर ०१ अद्वा वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
- स्थल का अधिगोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
- अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के कम में कोई वित्तीय देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदकगण को करना दायकारी होगा।
- माननीय न्यायालय में कोई बाद होने अथवा उत्पन्न होने की विधि में प्रदल्ल स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व समझी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
- विभिन्न समय पर जारी शासनादेश य नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पहा को जमा करना होगा।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- यह स्वीकृति पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थानी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खार्ड से मरम्मत कराकर पूर्वत अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मैं कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे गामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाय सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदर्शी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनुचित घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

ग्र०प्र० १५/१६/१५
अ.म०/३०८/१५/१५
५/१२/१५

पुष्कर श्रीवास्तव
प्रमारी अधिकारी (त०स०-२)

